राजभाषा नीति नियम

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम - (एक महारत्न कंपनी)

राजभाषा यूनिट

पृष्ठभूमि

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को स्वाधीन भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति, जिसके अंतर्गत संवैधानिक (Constitutional) एवं सांविधिक (statutory) प्रावधान किए गए। सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा संकल्प, 1968; राजभाषा नियम, 1976; संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य राजभाषा नीति के अभिन्न अंग हैं।

इन प्रावधानों का कार्यान्वयन और अनुपालन न होने की दशा में इसे राजभाषा नीति का उल्लंघन माना जाता है ।

इस नीति के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए विभिन्न समितियाँ गठित हैं, जैसे राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति तथा केंद्रीय हिंदी समिति ।

भारतीय संविधान में राजभाषा

संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है अर्थात इसमें संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है।

- **राजभाषा नीति**
  - भारत का संविधान
  - राजभाषा अधिनियम 1963, यथासंशोधित 1967
  - राजभाषा संकल्प 1968
  - राजभाषा नियम 1976 यथासंशोधित 1987
  - राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश, अनुदेश आदि

राजभाषा संबंधी संविधान के भाग

संविधान के भाग- 5, 6, 17

भारतीय संविधान के भाग-5

अनुच्छेद-120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा। लेकिन यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेज़ी में अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं होने पर उनके अनुरोध पर राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष या तत्पदभार संभालने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हें अपनी मातृभाषा में बात करने की अनुमति दी जा सकती है।

संविधान के भाग-6

अनुच्छेद- 210 के अनुसार राज्य के विधान परिषद और विधान सभा में कार्य राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं में या हिंदी/अंग्रेजी में किया जाएगा। किन्तु कोई सदस्य इन भाषाओं में अपने विचार अभिव्यक्त कर पाने की स्थिति में न होने पर उनके अनुरोध पर विधान परिषद के सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष या तत्पदभार संभालने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हें अपनी मातृभाषा में बात करने की अनुमति दी जा सकती है।

संविधान के भाग-17

अनुच्छेद 343 से 351 में संघ की राजभाषा हिंदी, अष्टम अनुसूची में विनिर्देश अन्य भाषाओं, किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकृत अन्य कोई स्थानीय भाषा और अंग्रेज़ी का यथावश्यक प्रयोग तथा हिंदी को समृद्ध किए जाने संबंधी प्रावधान हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएं

संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाएं

हिंदी	पंजाबी	बांग्ला	संथाली	बोड़ो
असमिया	तेलुगू	मराठी	मैथिली	डोगरी
उड़िया	तमिल	मलयालम	कोंकणी	
उर्दू	गुजराती	संस्कृत	नेपाली	
कन्नड़	कश्मीरी	सिंधी	मणिपुरी	

भारत की 14 भाषाएं 1950 में संविधान में शामिल की गई। सिंधी को 1967 में संविधान में शामिल किया गया। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को 1992 में शामिल किया गया। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को 2003 में शामिल किया गया।

संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान

संविधान के 17 वें भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं –

- **अनुच्छेद 343(1)** संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है।

- **अनुच्छेद 343(2)** के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा।

- **अनुच्छेद 343(3)** में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है।

संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान

- **आवेदन/अभ्यावेदन की भाषा – अनुच्छेद 350** के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन/अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। यह शर्त जरूर है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है तो संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से कोई एक में होना चाहिए और अगर किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए।

- **हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश– अनुच्छेद 351** हिंदी भाषा की प्रसार – वृद्धि और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

राजभाषा अधिनियम, 1963 यथा संशोधित 1967

संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा उक्त अधिनियम पारित किया गया। इसमें कुल 9 धाराएं और 11 उपधाराएं हैं। अधिनियम की प्रमुख बातें:

1. यह अधिनियम अंग्रेजी के सतत् प्रयोग की अनुमति देता है-
   (क) संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए और
   (ख) संसद में कार्य करने के लिए

2. यह संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच परस्पर पत्राचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को निर्धारित करता है।

3. यह 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है।

धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़

1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियां	Licences
10	निविदा प्रारुप	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा संकल्प 1968

- सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करना |
- हिंदी प्रयोग व प्रसार हेतु उठाए कदमों तथा प्रगति की समीक्षा को संसद के दोनों सदनों में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रुप में प्रस्तुत करना |
- हिंदी व संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना |
- त्रिभाषा फार्मूला लागू करना |
- अन्यथा की स्थिति को छोड़ते हुए केंद्रीय सरकार के पदों पर भर्ती हेतु हिंदी अथवा अंग्रेजी, किसी एक भाषा का अनिवार्य ज्ञान होना |
- अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखना ।

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों का विभाजन मानचित्र

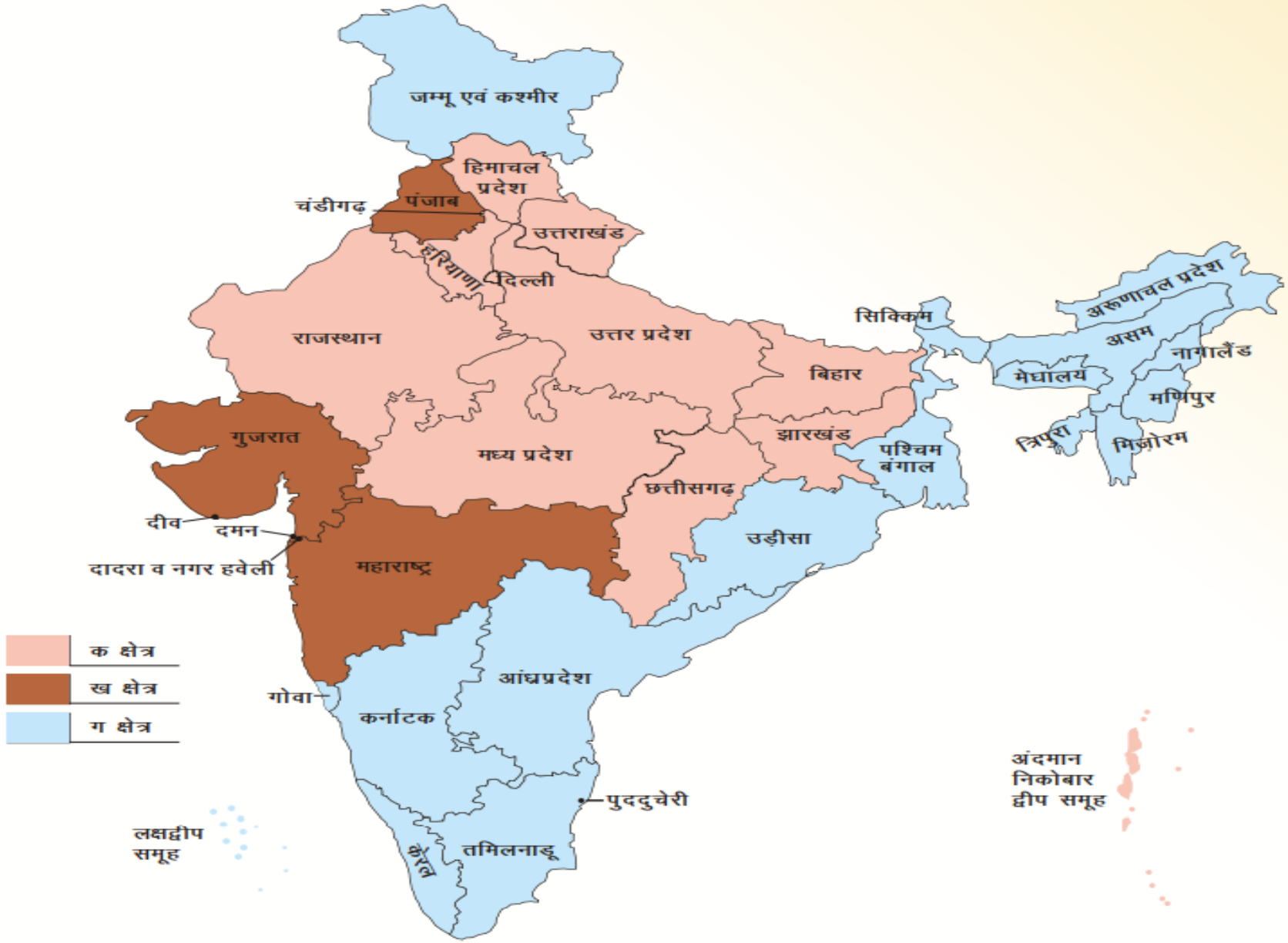

राजभाषा नियम,1976 : महत्वपूर्ण नियम

- (नियम 5) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं ।
- (नियम 6) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हों ।
- (नियम-11) सभी साइन बोर्ड, नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें, परिचय-पत्र, लेखन-सामग्री, पत्र शीर्ष लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी ।
- नियम-9 कोई कर्मचारी हिंदी में प्रवीण तभी माना जाएगा जबकि उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, या जिसने स्नातक परीक्षा में अथवा उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी एक वैकल्पिक विषय से उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रपत्र में हिंदी में प्रवीणता की घोषणा की हो।

राजभाषा नियम,1976 : महत्वपूर्ण नियम

- **नियम-10(1)** किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तभी माना जाएगा जबकि उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या जिसने प्राज्ञ अथवा अन्य निर्धारित निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रपत्र में हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा की हो।
- **नियम-10(4)** यदि किसी कार्यालय में 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो तो उस कार्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।
- **नियम 12** : अनुपालन का दायित्व प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि :
- अधिनियम और नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है
- इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच बिंदु बनाए जाएं